संख्या : 2906/79–6–05–1(6)/2000टीसी–2

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 जनवरी, 2006

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) में स्वच्छता बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी0सी0–3 दिनांक 25 जून, 2004 एवं शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000टी0सी0–3 दिनांक 23 जूलाई, 2004 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजना हेतु भोजन सामग्री का भण्डारण भोजन को बनाने, परोसने तथा भोजन सामग्री के उपयोग में लाये जाने में सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे जाने से सम्बन्धित है। शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2004 की प्रति पुनः इस आश्य के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश संम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में यह भी उचित होगा कि इन निर्देशों को गांव पंचायतों तथा विद्यालयों में भी प्रसारित करा दिया जाय जिससे समय–समय पर बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

2. उपरोक्त के क्रम में यह देखने में आ रहा है कि भोजन पकाने हेतु प्रयोग मं लाये जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की सफाई एवं उसको धोकर पकाने में शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण समय–समय पर विभिन्न जनपदों से बच्चों के बीमार होने अथवा उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जायः–

1. भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय एवं उसके वितरित हो जाने तक किचन में को बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करें तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि भोजन पकाते समय किचन के आस पास बच्चे न जाए।
2. भोजन पकाने हेतु स्वच्छ जल का उपयोग किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रदूषित जल का उपयोग न किया जाय। भोजन पकाने वाले कर्मी स्वयं भी स्वच्छता से रहे एवं खाना पकाने का स्थान भी स्वच्छ रखा जाए।
3. पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2004 के बिन्दु 8 में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह आवश्यक है कि खाने को वयस्क व्यक्ति(अध्यापक/अध्यापिका या समुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके जिससे बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो। कदाचित इन निर्देश का पालन नहीं हो रहा है जिसके कारण समय–समय पर दुर्घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अतः इस सन्दर्भ में पुनः

निर्देशित किया जा रहा है कि इस बिन्दु पर विशेष ध्यान रखा जाए जिससे दुर्घटनाओं से बचा जाय।

4. बच्चों को खाना परोसने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी बच्चे स्वच्छ जल से हाथ धोने के पश्चात ही कतारबद बैठकर भोजन प्राप्त करें तथा गर्म भोजन को परोसते समय भी विशेष सतर्कता बरती जाए जिससे गर्म भोजन से बच्चों के जलने आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।

प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है अतः वरीयता प्रदान करते हुए निर्देशित बिन्दुओं पर भली प्रकार प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। शासनादेश में निर्देशित बिन्दु का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

जे0एस0दीपक
राज्य परियोजना निदेशक
सर्वशिक्षा अभियान एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा

अर्द्ध शा0पत्रांकः रा0प0नि0/ /2004–05
सर्व शिक्षा अभियान
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780998
फैक्स : (0522) 2781128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबपदंदमजण्पद

दिनांक 04 जनवरी, 2006

प्रिय महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन ;ब्ववामक डपक. कंल.उमंसद्ध उपलब्ध कराने की योजना आपकी देखरेख में संचालित की जा रही है। एक ओर जहाँ यह एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर कर आई है, वहीं इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त साफ–सफाई न होने तथा भोजन ग्रहण करने के पश्चात बच्चों के बीमार होने की शिकायतें कई जनपदों से प्राप्त हुई है।

इस वृहद् योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक हे कि भोजन सामग्री के भण्डारन, भोजन बनाने, उसको परोसने तथा भोजन सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए व साफ–सफाई एवं स्वच्छता से इस योजना को लागू किया जाए। इसके लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न चावल, गेंहूँ आदि का गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि खाद्यान्न सड़ा–गला एवं खराब न हो।

(2) खाना पकाने से पूर्व उपलब्ध खाद्यान्न गेंहूँ अथवा चावल को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए एवं आवश्यकतानुसार धो लिया जाए ताकि कीटनाशक व अन्य तत्व उसमें बिल्कुल न रह जाए।

(3) पके–पकाएं खाने को हाथों से न परोसकर खाना परोसने वाले बर्तनों का प्रयोग किया जाए।

(4) गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह आवश्यक है कि खाने को वयस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका या समुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।

(5) पका–पकाया भोजन उपभोग उपरान्त यदि किन्हीं कारणों से बच जाएं तो उसे दूसरे दिन बच्चों को कदापि न परोसा जाए।

(6) भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय तथा उसके वितरित हो जाने तक किचेन में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करें तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि भोजन पकाते समय किचेन के आस–पास बच्चे न जाय।

(7) भोजन ग्रहण करने से पूर्व बच्चों द्वारा हाथ धोना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका–पकाया भोजन खाने से बच्चों के बीमार होने अथवा उल्टी–दस्त की कोई घटना न हो एवं यह योजना सुचारू रूप से चल सके।

सुभकामनाओं सहित,

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री (नाम से)
जिलाधिकारी
समस्त जनपद।